मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक - 13.08.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यकारी समिति की षष्टम् बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

कार्यावली संख्या -01

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक - 07.04.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णयः- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या - 02

शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की दिनांक- 12.09.2017 को संपन्न बैठक की कार्यवाही अवलोकनार्थ।

निर्णयः- अवलोकित।

कार्यावली संख्या - 03

कार्यकारी समिति की दिनांक- 07.04.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है :-

कार्यकारी समिति की दिनांक - 07.04.2017 की कार्यवाही की कार्यावली संख्या- 09	अनुपालन
श्रम संसाधन विभाग के पत्र संख्या-217, दिनांक-28.03.2017 द्वारा निम्न बिन्दुओं को कार्यकारी समिति के बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श हेतु सम्मलित करने का अनुरोध किया गया है :- 1. कुशल युवा कार्यक्रम के लाभार्थियों की अधिकतम उम्र को 25 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने पर विचार-विमर्श। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थियों की उम्र 20-25 वर्ष ही रहने के बिन्दु पर विचार-विमर्श। 2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों से भी कुशल युवा प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु सुरक्षित जमा के रूप में 1,000/- रुपये के राशि लिये जाने पर विचार-विमर्श, जो उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात उनके बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी, ताकि स्वयं सहायता भत्ता के लाभार्थियों का कुशल युवा	**निर्णयः-** **कंडिका-01 एवं 02 के संबंध में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी है।** **कंडिका-03 के संबंध में निदेशित किया गया कि श्रम संसाधन विभाग, आवश्यकतानुसार अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करे।** **अनुपालन :- श्रम संसाधन विभाग।**